

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(ए.पी.ई.डी.ए) की निष्पादन लेखापरीक्षा

मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संसद के दोनों सदनों के पटल
पर प्रस्तुत दिनांक

10 जुलाई 2009

संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2008-09 की संख्या पी.ए. 29
निष्पादन लेखापरीक्षा

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

विषय-सूची


क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सार	v
1	प्रस्तावना	1
2	लेखापरीक्षा अभिगम	4
3	लेखापरीक्षा निष्कर्ष-वित्तीय सहायता और अन्य योजनाएं	5
4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष - सामान्य	15
	परिशिष्ट	19
	प्रयुक्त संकेताक्षर	42



प्राक्कथन

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए) की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों वाला भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा 2003-2008 की अवधि को शामिल करते हुए नई दिल्ली स्थित ए.पी.ई.डी.ए मुख्यालय तथा बेंगलुरु स्थित एक क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से मई तथा नवम्बर 2008 के बीच की गई थी।



कार्यकारी सार


कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए) विभिन्न अनुसूचित उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन और विकास के उत्तरदायित्व के साथ 1986 में स्थापित किया गया था। ए.पी.ई.डी.ए परिवहन सहायता, बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और अनुसंधान और विकास के लिए पांच योजनाओं के अन्तर्गत निर्यातकों को प्रमुखतः वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अपने कार्यकलापों को कार्यान्वित करता है।

2003-04 से 2007-08 तक की अवधि को शामिल करते हुए ए.पी.ई.डी.ए की निष्पादन लेखापरीक्षा मई और नवम्बर 2008 के बीच की गई।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न योजनाओं-मुख्य रूप से वे जो अवसंरचना विकास और बाजार विकास से संबंधित हैं, के अन्तर्गत वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देशों के अननुपालन के कुछ दृष्टांतों को पाया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वित्तीय सहायता योजना के लिए ए.पी.ई.डी.ए की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां (आई. टी. सिस्टम) अधिकांश वित्तीय सहायता भुगतानों को प्राप्त नहीं कर रही थी। ए.पी.ई.डी.ए की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के अभिकल्प और प्रलेखीकरण और सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी

नियंत्रणों में महत्वपूर्ण कमियां भी पाई गई थी। लेखापरीक्षा को निर्यातकों के पंजीकरण और अनुसूचित उत्पादों के निर्यात पर सांख्यिकी के संग्रहण में भी कमियां ज्ञात हुईं।

निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत सिफारिशों पर ए.पी.ई.डी.ए की प्रतिक्रिया सामान्यतः सकारात्मक रही है। ए.पी.ई.डी.ए ने वित्तीय सहायता भुगतान मामलों की अधिकारियों द्वारा संवीक्षा हेतु जांच कार्यविधियों का संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, समन्वित वित्तीय सहायता सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी वित्तीय सहायता मामलों का भेजना प्रारम्भ कर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी भुगतानों के संग्रहण के लिए कम्प्यूटरीकृत चेक मुद्रण प्रणाली अप्रैल 2009 से लागू किया जाना है। XI योजना के दौरान सहायता के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देश अधिक संपूर्ण है, जिसमें सभी मामलों में पूर्व सैद्धान्तिक अनुमोदन (इन प्रीसिपल अप्रूवल) आवश्यक बनाए गए हैं। कृषि निर्यात क्षेत्र (एग्री एक्सपोर्ट जोन) अवधारणा के संबंध में ए.पी.ई.डी.ए ने समन्वित फ़ैशन में विकास के लिए 10 संभाव्य उत्पादों और सहयोगी समूहों को चिन्हित किया है। लेखापरीक्षा अपनी सिफारिशों के उत्तर में की गई कार्रवाई का स्वागत करता है। उसके प्रति हुई प्रगति की भावी लेखापरीक्षाओं में जांच की जाएगी।



अध्याय 1. प्रस्तावना

1.1 ए.पी.ई.डी.ए का विहंगावलोकन

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत 1986 में की गई थी।

इस अधिनियम के अन्तर्गत, ए.पी.ई.डी.ए के मुख्य कार्य निम्न हैं:

- अनुसूचित उत्पादों के निर्यात से संबंधित उद्योगों का विकास
- अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण (देखिए **बाक्स 1**)
- अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विनिर्देशनों का नियतन
- गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना;
- अनुसूचित उत्पादों के पैकेजिंग में सुधार करना;
- निर्यातोन्मुख उत्पादन का प्रोत्साहन तथा अनुसूचित उत्पादों का विकास
- भारत से बाहर अनुसूचित उत्पादों का विपणन सुधार करना
- अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण और प्रकाशन।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

प्राधिकरण 40 सदस्यों-एक अध्यक्ष, भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार, तीन संसद सदस्य, विभिन्न मंत्रालयों, राज्य/सं.रा.क्षे. और योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 सदस्य तथा उद्योगों, तकनीकी संस्थानों तथा अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 21 सदस्यों से बना है।

ए.पी.ई.डी.ए का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और गुवाहाटी में इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

बाक्स 1- अनुसूचित उत्पाद

ए.पी.ई.डी.ए का अधिदेश निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन और विकास के उत्तरदायित्व के साथ किया गया है:

- फल, सब्जियाँ और उनके उत्पाद;
- माँस और मांस उत्पाद;
- मुर्गियाँ और मुर्गी उत्पाद;
- दुग्ध उत्पाद;
- मिष्ठान्न, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद;
- शहद, शक्कर और चीनी उत्पाद;
- कोको और इसके उत्पाद तथा चाकलेट;
- मादक और गैर-मादक पेय;
- खाद्यान्न और खाद्यान्न उत्पाद;
- मूंगफली, बादाम और अखरोट;
- अचार, पापड़ और चटनी;
- ग्वार गम;
- पुष्पोत्पादन और पुष्प उत्पाद;
- हर्बल और दवा संबंधी वनस्पति; तथा
- चावल (गैर-बासमती)

इसके अतिरिक्त, ए.पी.ई.डी.ए को कुछ गैर-अनुसूचित मर्दों यथा बासमती चावल, गेहूँ तथा मोटे अनाज के निर्यात तथा चीनी के आयात की मानीटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


इसके अतिरिक्त, इसके पास स्टाफ सहित राज्य सरकारों के साहचर्य से अलग-अलग स्थानों¹ पर 13 संभाव्य कार्यालय हैं जहां ए.पी.ई.डी.ए और इसकी योजनाओं के बारे में मूल सूचना उद्यमियों और भावी निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाती है।

1.3 कृषि उत्पादों का निर्यात

2003-08 के दौरान ए.पी.ई.डी.ए द्वारा मानीटर किए गए कृषि उत्पादों के निर्यात की रूपरेखा चार्ट-1 में दी गई है।

1.4 वित्तीय स्थिति


ए.पी.ई.डी.ए अपने कार्यकलाप करने के लिए ए.पी.ई.डी.ए अधिनियम की धारा-15 के अनुसार भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करता है। यह पंजीकरण फीस तथा संसाधन फीस आदि के रूप में अपना निजी राजस्व भी उत्पन्न करता है (चार्ट-2)




ए.पी.ई.डी.ए के मुख्य कार्यकलाप इसकी वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से पूरे किए जाते हैं (देखें **बाक्स-2**)।

¹अगरतला, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, इम्फाल, कोहिमा, लखनऊ, पणजी, रायपुर, श्रीनगर और तिरुवनन्तपुरम्

चार्ट - 1 : ए.पी.ई.डी.ए द्वारा मानीटर किए गए कृषि उत्पादों का निर्यात (2003-2008)



निर्यात का वितरण



स्रोत : यह डाटा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एण्ड एस) द्वारा सूचित डाटा से एपीईडीए द्वारा संकलित किया गया है।

बॉक्स-2 ए.पी.ई.डी.ए की वित्तीय सहायता योजनाएं

परिवहन सहायता योजना

समुद्र और वायु भाड़ा दरों के संबंध में होने वाली हानियों के प्रति निर्यातकों की प्रतिपूर्ति के लिए चिन्हित उत्पादों के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अवसंरचना विकास योजना

फसल के बाद अवसंरचना विकास; छाँटने तथा श्रेणीकरण लाइनों; मध्यवर्ती भंडारण शेडों; निस्सारी अभिक्रिया और जल मृदुकरण संयंत्रों; प्रयोगशाला उपस्कर, पूर्व-शीतन यूनितें; उच्च आद्रता शीत भंडारण; प्रशीतित परिवहन आदि का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बाजार विकास योजना


पैकेजिंग मानकों के विकास और आधुनिक पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने और बाजार सूचना के विकास एवं प्रसार, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, प्रदर्शनियों और मेलों आदि में भाग लेने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

गुणवत्ता विकास योजना

प्रयोगशाला उपस्कर की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को अपनाने (आई.एस.ओ.एच.ए.सी.सी.पी, ई.यू.आर.ई.जी.ए.पी² आदि) और आयातक देश के उत्पाद मानकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादों, कीटनाशी अवशेष आदि की जाँच करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

अनुसंधान और विकास

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन पर सीधा प्रभाव रखने वाले सरकारी और सहकारी/निजी क्षेत्र में आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।



²आई.एस.ओ.-मानकीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन; एच.ए.सी.सी.पी-जोखिम विश्लेषण और नाजुक नियंत्रण बिंदु; ई.यू.आर.ई.जी.ए.पी-यूरो रिटेलर प्रोड्यूस गुड एग्रीकल्चरल प्रेक्टिसेस

अध्याय -2 लेखापरीक्षा अभिगम

2.1 लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र

ए.पी.ई.डी.ए के लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के साथ पठित ए.पी.ई.डी.ए अधिनियम, 1985 की धारा 18 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अध्यक्षीन हैं।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

2003-04 से 2007-08 तक की अवधि को शामिल करते हुए ए.पी.ई.डी.ए की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई थी:

- निर्यातकों के पंजीकरण के लिए कार्यविधियों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता;
- मानकों और विनिर्देशनों के सम्पादन तथा मानीटरिंग अनुपालन के लिए प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता;
- अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं की मितव्ययिता, कार्यक्षमता तथा प्रभावकारिता;
- अनुसूचित उत्पादों के निर्यात पर सांख्यिकी के संग्रहण के लिए कार्यविधियों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता;
- अन्य योजनाओं यथा कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जेड) और विकारी कार्गो केन्द्रों (सी.पी.सी) की प्रभावकारिता; और
- ए.पी.ई.डी.ए के विभिन्न कार्यकलापों के लिए विकसित सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की प्रभावकारिता।

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा-मानदंड में निम्न शामिल थे:

- ए.पी.ई.डी.ए अधिनियम और
- वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए दिशानिर्देश।

2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2008, में ए.पी.ई.डी.ए के साथ एंट्री कान्फ्रेंस के साथ प्रारम्भ हुई जिसमें लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, मानदंड और कार्य प्रणाली स्पष्ट की गई। इस बैठक के दौरान, ए.पी.ई.डी.ए ने भी अपने कार्यकलापों का प्रस्तुतीकरण किया।

मुख्यालय और एक क्षेत्रीय कार्यालय (बेंगलुरु) में ए.पी.ई.डी.ए के अभिलेखों की संवीक्षा मई से नवम्बर 2008 तक की गई इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए इन अनुप्रयोगों से संबंधित डाटा को डाउनलोड किया गया और लेखापरीक्षा विश्लेषण के लिए माइक्रोसॉफ्ट-एक्सेस 2003 में डाला गया।

मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नवम्बर 2008, में ए.पी.ई.डी.ए को एक प्रति के साथ मंत्रालय को जारी किया गया था। मसौदा प्रतिवेदन के लिए ए.पी.ई.डी.ए का उत्तर फरवरी 2009 में प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए दिसम्बर 2008, में ए.पी.ई.डी.ए के साथ एक्जिट कान्फ्रेंस आयोजित किया गया। ए.पी.ई.डी.ए का उत्तर उपयुक्त रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ए.पी.ई.डी.ए के सहयोग और सहायता का लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

अध्याय 3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष-वित्तीय सहायता और अन्य योजनाएं

3.1 भुगतान के लिए आंतरिक नियंत्रण

2003-08 के दौरान, वित्तीय सहायता योजनाओं के अन्तर्गत संवितरण ए.पी.ई.डी.ए का अधिकतर व्यय था। सहायता के भुगतान के अलग-अलग मामलों के संबंध में योजना दिशा-निर्देशों की तुलना में यथोचित जाँच करने की जिम्मेदारी ए.पी.ई.डी.ए द्वारा उनकी आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म के रूप में नामजद एक थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा फर्म को सौंपी गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नमूना जाँच किए गए प्रतिदर्श की ए.पी.ई.डी.ए अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण जाँच उपयुक्तरूप से प्रलेखित नहीं की गई थी।

सिफारिश-1

ए.पी.ई.डी.ए को वित्तीय सहायता भुगतान मामलों की ए.पी.ई.डी.ए अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण जाँच की प्रणाली सुदृढ़ करनी चाहिए, ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म, योजना दिशानिर्देशों की तुलना में यथोचित जांच वास्तव में यथेष्ट और प्रभावी ढंग से कर रही है। इसके अतिरिक्त, ए.पी.ई.डी.ए विभिन्न स्तरों पर ए.पी.ई.डी.ए अधिकारियों द्वारा की जाने वाली पर्यवेक्षण जाँच के प्रलेखन पर विचार करे ताकि विफलता की जवाबदेही सरलता से नियत की जा सके।

उत्तर : ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि जाँच कार्यविधि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा संवीक्षा शामिल करने के लिए संशोधित की गई है। विशेषकर, एक नया फार्मेट, अधिकारियों के विभिन्न स्तर द्वारा अभिलेखों की यादृच्छिक जाँच को आवश्यक बनाते हुए परिवहन सहायता मामलों के संसाधन के लिए प्रारम्भ किया गया है।

लेखापरीक्षा भुगतान मामलों की पर्यवेक्षण जाँच सुदृढ़ करने के लिए ए.पी.ई.डी.ए द्वारा की गई कार्रवाई का स्वागत करता है।


3.2 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में सहायता मामलों की अपर्याप्त प्राप्ति

ए.पी.ई.डी.ए के पास निर्यातकों को विभिन्न योजनाओं के 34 संघटकों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समन्वित वित्तीय सहायता प्रणाली (आई.एफ.ए.एस) है। औसतन ए.पी.ई.डी.ए लगभग 1000 आवेदन वार्षिक प्राप्त करता है जो छह उत्पाद प्रभागों द्वारा संसाधित किए जाते हैं।

वित्तीय सहायता प्रणाली (एफ.ए.एस) अनुप्रयोग मूलतः 1998-99 में डाटा बेस और वर्कफ्लो दोनों सामर्थ्य के साथ ओरेकल/पावर बिल्डर/लोटस नोट्स पर विकसित किया गया था और मार्च 2001 में उन्नत किया गया था। अनुप्रयोग को 2003-2004 में आई.एफ.ए.एस के रूप में पुनःअभिकल्पित किया गया था। तदनन्तर 2005 में, डाटाबेस दो भागों-आई.एफ.ए.एस, जो वर्तमान में परिवहन सहायता योजना (टी.ए.एस) और ग्रेप्स के लिए प्रयोगशाला जाँच (एल.टी.जी) का प्रहस्तन करता है और नई समन्वित वित्तीय सहायता प्रणाली (आई.एफ.ए.एस न्यू) जो अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं और बाजार विकास सहायता का प्रहस्तन करता है, में बांटा गया था।

इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का 2003 अथवा उससे पूर्व विकास और क्रियान्वयन किया गया था परन्तु ए.पी.ई.डी.ए सूचना प्रौद्योगिकी डाटाबेस में अधिकतर वित्तीय


सहायता मामलों की प्राप्ति करने में असमर्थ था।
चार्ट-4 विभिन्न सहायता योजनाएं जिनकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में प्राप्ति/अप्राप्ति हुई है, के अन्तर्गत 2004-08 के दौरान व्यय की राशि दर्शाता है।



विशेषकर, यद्यपि निर्यातकों द्वारा परिवहन सहायता योजना की आन लाइन प्रविष्टि के लिए आई.एफ.ए.एस पुनः अभिकल्पित की गई थी, परन्तु केवल लगभग 60 प्रतिशत मामले **चार्ट-5** में यथा दर्शित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में प्राप्त हुए थे।

स्पष्टतः, जब तक वित्तीय सहायता मामलों पर सभी आंकड़े इलेक्ट्रानिक रूप से नहीं प्राप्त होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का सीमित मूल्य है और ए.पी.ई.डी.ए वित्तीय सहायता मामलों की प्राप्ति, संसाधन और भुगतान को प्रभावी रूप से मानीटर करने में असमर्थ होगा।

चार्ट-5 : सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में प्राप्त 2004-2008 के लिए परिवहन सहायता



सिफारिश - 2

ए.पी.ई.डी.ए का यह सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि सभी वित्तीय सहायता मामले इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त किए जाए और मैनुअल अभिलेख नहीं, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आई. टी. सिस्टम) अभिलेख की मूल प्रणाली हो जाए। यह ए.पी.ई.डी.ए को वित्तीय सहायता के संसाधन पर प्रभावी और सख्त नियंत्रण के लिए समर्थ बनाएगा।

उत्तर : ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि सामान्य अवसंरचना, सेमिनार, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित वित्तीय सहायता की सभी फाइलों की रूटिंग को तत्काल प्रभाव से आई.एफ.ए.एस साफ्टवेयर के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय प्रारम्भ किए गए हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली अभिलेखों की मूल प्रणाली हो जाए। आई.एफ.ए.एस के साथ जोड़कर एक कम्प्यूटरीकृत चेक मुद्रण प्रणाली विकसित की गई है जिसमें सभी स्तरों पर संसाधन और इलेक्ट्रानिक रूप से भुगतानों के निर्गम को प्राप्त करना अपेक्षित होगा। यह प्रणाली फरवरी और मार्च 2009 के दौरान जांच के बाद प्रथम

अप्रैल 2009 से लागू की जाएगी।

लेखापरीक्षा ए.पी.ई.डी.ए. द्वारा प्रारम्भ की गई कार्रवाई का स्वागत करता है जिसके कार्यान्वयन का भावी लेखापरीक्षा में सत्यापन होगा।

3.3 परिवहन सहायता योजना

परिवहन सहायता योजना (टी.ए.एस) निर्यातकों को समुद्र और वायु भाडे की दरों के संबंध में हुई हानियों के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए अप्रैल 2002 से भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं :

टी.ए.एस के आवेदनों को सुसंगत दस्तावेजों यथा-लदान बिल/एयरवे बिल, वाणिज्यिक बीजक, भाड़ा अग्रेसन बिल, बैंक उगाही प्रमाणपत्र आदि की प्रतियों द्वारा समर्थित करना है।


सहायता के आवेदन, पक्ष जिसमें लदान किया गया है की अंतिम तारीख से 180 दिन के भीतर प्रस्तुत किये जाने हैं। 1 अप्रैल 2002 से 15 जून 2003 तक की अवधि से संबंधित मामलों के लिए आवेदन 15 दिसम्बर 2003 तक प्रस्तुत किए जा सकते थे और 1 अप्रैल 2004 से 28 फरवरी 2005 तक की अवधि से संबंधित मामले 27 अगस्त 2005 तक प्रस्तुत किए जा सकते थे। निर्यातोन्मुख यूनियों के लिए समय सीमा 1 अप्रैल 2006 से 365 दिनों तक बढ़ाई गई थी।

देर से प्रस्तुत करने के मामले में 30 दिन तक के विलम्ब के लिए 5 प्रतिशत; 31 से 60 दिन तक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत; और 61 से 90 दिन के विलम्ब के लिए 20 प्रतिशत की दर पर शास्ति के लिए दायी है।

90 दिनों से अधिक के विलम्ब के साथ आवेदनों को अस्वीकृत किया जाना है।

पुनः प्रस्तुत करने के मामले में एक प्रतिशत की दर पर प्रति प्रस्तुतीकरण शास्ति लगाई जानी है; अधिकतम दो पुनः प्रस्तुतीकरण अनुमत हैं।

2003-08 के दौरान परिवहन सहायता के वर्षवार भुगतान चार्ट-6 में दिए गए हैं।



लेखापरीक्षा ने 2003-08 अवधि की 532³ फाइलों से संबंधित 11.80 करोड़ रु की परिवहन सहायता वाले अभिलेखों की ए.पी.ई.डी.ए मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु (ए.पी.ई.डी.ए मुख्यालय में 379 मामले जिनमें 2.27 करोड़ रु की सहायता शामिल थी और क्षेत्रीय कार्यालय में 153 मामले जिसमें 9.53 करोड़ रु की सहायता शामिल थी) में संवीक्षा की। लेखापरीक्षा से पता चला कि सभी नमूना जांच किए गए मामलों में योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए मामलों में, पुनः प्रस्तुतीकरण शास्ति जहां लागू थी, सही तरह से लगाई गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा को 16 मामलों में 0.18 करोड़ रु की परिवहन सहायता के कुल अधिक भुगतान का पता चला। अधिक भुगतान के ये मामले दो श्रेणियों में आते हैं :

³ प्रत्येक फाइल एक निर्यातक से संबंधित और एक अथवा अधिक लदानों से संबंधित है।

- पाँच मामले, जो कालबाधित हो गए और तत्काल अस्वीकृत किए जाने चाहिए थे परन्तु अनियमित रूप से स्वीकार किए गए जिसमें 0.12 करोड़ रु. का अधिक भुगतान शामिल है।
- ग्यारह मामले, जहां शास्ति उद्ग्राह्य थी परन्तु लगाई नहीं गई थी अथवा लगाई गई शास्ति आवेदनों के प्रस्तुत करने में विलम्ब की शर्त में देय शास्ति से कम थी जिसमें 0.06 करोड़ रु का अधिक भुगतान शामिल है।

ब्यौरे परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं।

उत्तर में ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि इन 16 मामलों में अधिक भुगतान नहीं हुआ था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन 16 मामलों में पूर्व पक्षों से संबंधित लदान बिल आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा गलती से अनुवर्ती पक्ष के लिए प्रमाणित किए गए थे, इस प्रकार आवेदनों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय सीमा को अनियमित रूप से बढ़ाया गया।


3.4 अवसंरचना विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत, ए.पी.ई.डी.ए विभिन्न मर्दों जैसे फसल के बाद अवसंरचना, सार्टिंग और ग्रेडिंग लाइन्स, मध्यवर्ती भंडारण शेड, निस्सारी अभिक्रिया तथा जल मृदुकरण संयंत्र, प्रयोगशाला उपस्कर, पूर्व-शीतन यूनितें, उच्च आद्रता शीत भंडार, प्रशीतित परिवहन आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

सहायता की दरें संघटकों और क्या निष्पादन एजेंसी लोक क्षेत्र एजेन्सी है अथवा नहीं, के आधार पर भिन्न है। सैद्धान्तिक अनुमोदन (आई.पी.ए.) वित्तीय सहायता के लिए पात्रता की पूर्व शर्त है और आई.पी.ए जारी करने की तारीख के पहले कोई व्यय या भुगतान अथवा वित्तीय वचनबद्धता (जैसे साख पत्र खोलना) नहीं की जानी है। आई.

पी.ए की वैधता छह महीने है जो अनुरोध पर बढ़ाई जा सकती है। सहायता योजनावधि में एक बार स्वीकार होगी। तथापि, बहु संसाधन/विनिर्माण यूनितें जो भौगोलिक रूप से अलग स्थानों में हैं, पृथकरूप से योग्य होंगी।

2003-08 के दौरान योजना के अन्तर्गत वर्षवार भुगतान चार्ट-7 में दिए गए हैं।



लेखापरीक्षा में 27.08 करोड़ रु की वित्तीय सहायता वाले 92 मामलों की संवीक्षा की गई और 47 मामलों में दिशा निर्देशों का अननुपालन पाया गया जिनमें 4.38 करोड़ रु (16 प्रतिशत) की सहायता शामिल है जिसको संक्षेप में नीचे दिया गया है :

- 2.28 करोड़ रु की सहायता वाले 24 मामलों में सहायता ऐसे निर्यातकों को निर्मुक्त की गई जिन्होंने आई.पी.ए की तारीख से पूर्व व्यय अथवा वित्तीय वचनबद्धता की थी।
- 0.91 करोड़ रु की सहायता वाले 11 मामलों में अंतिम दावे आई.पी.ए में अनुबद्ध अंतिम तारीख के बाद प्रस्तुत किए गए थे।
- 0.63 करोड़ रु की सहायता वाले छः मामलों में बिल बिना ब्यौरे के प्रस्तुत किए गए थे।

- 0.56 करोड़ रु. की सहायता वाले छः अन्य मामलों में अन्य विसंगतियां जैसे समाप्त पंजीकरण, शामिल की गई अपात्र मदें, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित दो यूनिटें आदि थी।

इसके अतिरिक्त, आधारभूत सुविधाएं, जैसे पशु फसल सुविधाएं, शीत भंडार और पैक गृह, सामान्य सुविधाएं और नर्सरी के निर्माण के लिए विभिन्न केन्द्र/राज्य सरकार एजेंसियों को 13.04 करोड़ रु. की सहायता वाले नौ मामलों में परियोजनाएं लक्षित पूर्णता तारीख से पीछे थी और सुविधाओं का लाभ लक्षित लाभभोगियों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था।

ब्यौरे परिशिष्ट-2 (क) से (घ) में दिए गए हैं।

सिफारिश - 3

ए.पी.ई.डी.ए को सुनिश्चित करना चाहिए कि अवसंरचना विकास योजना के लिए दिशानिर्देश और अलग-अलग संस्वीकृतियों की शर्तों का प्रत्येक मामले में पालन किया जाता है।

उत्तर : ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि जबकि विगत में, दिशानिर्देश संर्वांगपूर्ण नहीं थे वहीं XI योजना में दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आई.पी.ए (इन प्रीसिपल अप्रूवल) आवश्यक है और यह कि आई.पी.ए की तारीख से पहले कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित अलग-अलग मामलों के संबंध में ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि इनमें रियायत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अनुमोदित थी। तथापि, तथ्य शेष यह रहता है कि दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था।


लेखापरीक्षा XI योजना में सहायता के लिए दिशानिर्देशों को नोट करता है, जिनके अनुपालन की भावी लेखापरीक्षा में निगरानी की जाएगी।

3.5 बाजार विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाती है। इनमें विस्तृत किस्म के क्रियाकलाप शामिल हैं :-

- पैकेजिंग मानकों और अभिकल्प का विकास तथा आधुनिक पैकेजिंग सामग्री का उपयोग;
- बाजार सूचना का विकास और प्रसार;
- क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी, प्रतिनिधियों के विनिमय आदि।

बाजार विकास की योजना के अन्तर्गत 2003-08 के दौरान वर्षवार भुगतान चार्ट-8 में दिए गए हैं।



3.5.1 पैकेजिंग मानकों और अभिकल्प का विकास

इस संघटक के अन्तर्गत ए.पी.ई.डी.ए द्वारा विकसित या अपनाए गए मानकों तथा विनिर्देशनों का अनुपालन करते हुए पैकेजिंग सामग्री के उपयोग के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता प्रति

लाभभोगी 1.50 लाख रू की सीमा के अध्यक्षीन पैकेजिंग सामग्री की लागत के 30 प्रतिशत तक सीमित है। सहायता की निर्मुक्ति के लिए, निर्यातकों को बीजक, लदान पत्र और पैकेजिंग सामग्री के विनिर्देशनों के साथ अनुपालन प्रमाणित करते हुए प्रयोगशाला जाँच रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में आधुनिक पैकेजिंग सामग्री के उपयोग हेतु 1.79 करोड़ रू की सहायता के 152 मामलों की संवीक्षा की गई और कोई महत्वपूर्ण कमियां नहीं पाई गई।

3.5.2 मध्यवर्ती पैकेजिंग सामग्री

इस घटक के अन्तर्गत उत्पाद के घरेलू परिवहन हेतु मध्यवर्ती पैकेजिंग सामग्री की खरीद के लिए निर्यातकों, उत्पादकों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रति लाभभोगी 5 लाख रू की सीमा के अध्यक्षीन सहायता सामग्री की लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित की जाती है। योजना में अलग-अलग परियोजनाओं के लिए ए.पी.ई.डी.ए द्वारा आई.पी.ए का जारी किया जाना परिकल्पित है जिसमें विस्तृत शर्तें तथा निबन्धन शामिल हैं तथा सहायता का दावा करने के लिए सुसंगत दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तारीखों की भी शर्त लगाता है।

0.61 करोड़ रू की सहायता वाले 20 मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 0.13 करोड़ रू की सहायता वाले चार मामलों पर विचार किया गया और अनियमित रूप से भुगतान किया गया :

तीन मामलों में वे आई.पी.ए में निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्रस्तुत किए गए थे,

एक मामले में व्यय आई.पी.ए के जारी होने के पहले किया गया था।

ब्यौरे परिशिष्ट 3 (क) में दिए गए हैं।

उत्तर में ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि अन्तराल को XI योजना मार्गनिर्देशों में बन्द कर दिया गया था।

3.5.3 निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास

इस घटक के अन्तर्गत ए.पी.ई.डी.ए क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, उत्पाद उन्नयन, प्रतिनिधि मण्डलों का आदान-प्रदान, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भागीदारी आदि जैसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न का पता चला :

- 2006-07 के दौरान वाणिज्य मंत्रालय ने प्रति मेला 10 लाख रू की व्यय सीमा के साथ 20 मेलों में ए.पी.ई.डी.ए की भागीदारी का अनुमोदन किया। तथापि 20 मेलों में से पाँच में व्यय सीमा पर्याप्त रूप से बढ़ गई थी (परिशिष्ट-3 (ख))।
- 2007-08 के दौरान मंत्रालय ने 3.62 करोड़ रू की लागत पर 15 मेलों में ए.पी.ई.डी.ए की भागीदारी का अनुमोदन किया। जबकि अलग-अलग मेलों पर विस्तृत व्यय लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया वहीं ए.पी.ई.डी.ए ने इन मेलों पर 11.05 करोड़ रू का कुल व्यय किया जो संस्वीकृत लागत से 7.43 करोड़ रू तक अधिक था।
- मंत्रालय की संस्वीकृतियां यह शर्तें लगाती थी कि प्रत्येक मेले के संबंध में परिणाम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। तथापि 2006-08 के दौरान 35 मेलों में भागीदारी के प्रति केवल पाँच परिणाम रिपोर्टें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई थी। यद्यपि ये रिपोर्टें नेमी प्रकृति की थी और यह स्पष्टतया नहीं दर्शाती थी कि मेले में ए.पी.ई.डी.ए की भागीदारी के उद्देश्य कैसे प्राप्त किये गये थे।

सिफारिश - 4


ए.पी.ई.डी.ए यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय सहायता के भुगतान के प्रत्येक मामले में बाजार विकास योजना के मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

उत्तर : ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया था वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ जैसे अन्य भाग लेने वाले संगठनों द्वारा वहन किया गया था। तथापि इस तरह वहन किए गए अधिक व्यय के ब्यौरे संलग्न नहीं किए गए थे।

3.6 गुणवत्ता विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत ए.पी.ई.डी.ए प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों (आई.एस.ओ, एच.ए.सी.सी.पी, ई.यू.आर.ई. जी.ए.पी आदि) को अपनाने तथा उत्पाद मानकों, कीटनाशक अपशिष्ट आदि की आयातक देश अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्पादों की जाँच के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अवसंरचना विकास की योजना के मामले की तरह पात्रता के लिए आई.पी.ए एक पूर्व शर्त है और भौगोलिक रूप से भिन्न स्थानों पर स्थित संसाधन/विनिर्माण इकाइयों के अपवाद के साथ सहायता एक योजना अवधि में केवल एक बार स्वीकार्य है।

2003-08 के दौरान गुणवत्ता विकास योजना के अन्तर्गत वर्षवार भुगतान चार्ट-9 में दिए गए हैं



3.6.1 गुणवत्ता तथा गुणवत्ता नियंत्रण को प्रोत्साहन

इस घटक के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं की स्थापना करने या क्षमता बढ़ाने के लिए निर्यातकों, उत्पादकों, व्यापार संघों, लोक संस्थाओं आदि को सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्रति लाभभोगी 5 लाख रु. की सीमा के अध्यक्षीन लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित की जाती है।

0.78 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता वाले 18 मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 0.17 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता चार मामलों में अनियमित रूप से दी गई थी क्योंकि अन्तिम दावा आई.पी.ए में निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्यौरे परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं।

उत्तर में ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि शिथिलताएं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दी गई थी। तथापि तथ्य यह शेष रहता है कि मार्गनिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

3.6.2 निर्यात जाँच के लिए प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा मान्यता

इस घटक के अन्तर्गत 50 लाख रु. की सीमा के अध्यक्षीन निजी प्रयोगशालाओं की कीमत के 50 प्रतिशत तक और केन्द्र तथा राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं की कीमत के 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

9.95 करोड़ रु. की सहायता वाले 10 मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एक मामले में 3.62 करोड़ रु. की सहायता नमूना जाँच मशीन के लिए प्रदान की गई थी जो प्रयोगशाला द्वारा राष्ट्रीय जाँच एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल) प्रमाणपत्र के प्राप्त न होने के कारण उस तारीख तक कार्य नहीं कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप 3.62 करोड़ रु. की निधियां अवरुद्ध हो गईं। शेष नौ मामलों में लेखापरीक्षा में कोई महत्वपूर्ण कमियाँ नहीं पाई गईं।

3.6.3 नमूनों की जाँच

ए.पी.ई.डी.ए कीटनाशक अवशेष, प्रतिजैविकी, हार्मोन तथा स्वापक की जाँच के लिए निर्यातकों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सहायता 7,000 रु. और करों की सीमा के साथ लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित की जाती है।

लेखापरीक्षा में चार प्रयोगशालाओं को 2005-08 के दौरान 11,043 जाँचों के लिए 3.64 करोड़ रु. के लिए गए भुगतानों की समीक्षा की गई और भुगतान प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण कमियां नहीं पाई गईं।

3.6.4 संगठनात्मक इमारत तथा एच.आर. डी

इस घटक के अन्तर्गत ए.पी.ई.डी.ए निम्न को सहायता प्रदान करता है :

- प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी तथा प्रबन्धकीय प्रक्रियाओं के उन्नयन के लिए निर्यातकों, उत्पादकों, विनिर्माताओं आदि; और
- सेमीनार तथा समूह कार्यकलापों के लिए और सूचना साहित्य प्रकाशित करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों के मान्यता प्राप्त संघ।

10 कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एक मामले में प्रशिक्षण ऐसी प्रयोगशालाओं से भागीदारों को दिया गया था जो ए.पी.ई.डी.ए द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे।

3.7 अनुसंधान एवं विकास

इस योजना के अन्तर्गत ए.पी.ई.डी.ए कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन पर प्रत्यक्ष प्रभाव रखने वाली आर एण्ड डी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायता 10 लाख रु. की सीमा के अध्यक्षीन सरकारी क्षेत्र में लागत के 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र में लागत के 50 प्रतिशत तक होती है।

2001-02 तथा 2007-08 के बीच ए.पी.ई.डी.ए ने 5.60 करोड़ रु. वाली 12 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया और उन्हें 4.08 करोड़ रु. की सहायता प्रदान की।

इन परियोजनाओं में से

- 1.95 करोड़ रु. की सहायता वाली सात परियोजनाएं पूर्ण की गई थी।
- 0.06 करोड़ रु. की सहायता वाली दो परियोजनाएं छोड़ दी गई थी।
- 2.07 करोड़ रु. की सहायता वाली तीन परियोजनाएं चालू थी। इनमें से "आमों के स्टोन वीविल का अनुसंधान" पर एक परियोजना दो वर्ष से अधिक समय से विलम्बित हो गई थी। ए.पी.ई.डी.ए ने स्वीकार किया कि आयातक देशों के साथ बातचीत के लिए परियोजना रिपोर्ट अनिवार्य थी।

3.8 अन्य योजनाएं

3.8.1 कृषि निर्यात क्षेत्र (एग्री एक्सपोर्ट जोन-ए.ई.जैड)

अपनी एक्ज़िम पॉलिसी 2001 में भारत सरकार ने कच्चे माल का विकास तथा स्रोत पता करने, संसाधन, पैकेजिंग तथा निर्यात करने के प्रयोजन हेतु समीपस्थ क्षेत्रों में स्थित विशेष उत्पादों पर केन्द्रित करने के उद्देश्य से कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जैड) की संकल्पना आरम्भ की। राज्य सरकारों को निर्यात सम्भावना के साथ अभिज्ञात उत्पादों के समूह अभिगम के साथ परियोजनाएं विकसित करनी थी और ए.पी.ई.डी.ए को ए.ई.जैड के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया।

अब तक भारत सरकार ने 1,718 करोड़ रु. के प्रत्याशित निवेश से 60 ए.ई.जैड की संस्वीकृति की है जिसमें ए.पी.ई.डी.ए का हिस्सा 121 करोड़ रु. है। इन ए.ई.जैड का पंचवर्षीय अवधि 2001-

2006 में 11,821 करोड़ रू. के अनुक्रमिक निर्धारित निर्यातों में परिणाम निकलना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि ए.ई.जैड का निष्पादन व्यवहार में अनियमित था। सम्पूर्ण पाँच वर्ष अवधि में 11,821 करोड़ रू. के निर्धारित निर्यातों के प्रति मार्च 2008 तक वास्तविक निर्यात 10,691 करोड़ रू. था। 60 ए.ई.जैड में से :

- आठ ए.ई.जैड (कर्नाटक में खीरा तथा गुलाबी प्याज, महाराष्ट्र में अंगूर/अंगूरी शराब तथा प्याज, आंध्रप्रदेश में आमगूदा/ताजा वनस्पति, जम्मू-कश्मीर में अखरोट, गुजरात में मूल्यवर्द्धित प्याज तथा केरल में बागबानी उत्पाद) ने इन क्षेत्रों के संबंध में 1,048 करोड़ रू. के अनुमानों के प्रति निर्यातों के 8,352 करोड़ रू. (78 प्रतिशत) का योगदान दिया।
- शेष 52 ए.ई.जैड ने 10,774 करोड़ रू. के अनुमानों के प्रति केवल 2,339 करोड़ रू. का निर्यात किया। इनमें से 13 ए.ई.जैड ने 2,447 करोड़ रू. के अनुमानित निर्यातों के प्रति किंचित कोई निर्यात नहीं किया।

ए.ई.जैड के निष्पादन के मद्देनज़र वाणिज्य मंत्रालय के अधीन संयुक्त सचिवों की एक समिति ने 2005 में 25 ए.ई.जैड की पीअर समीक्षा की। उन्होंने केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच स्वामित्व तथा समन्वय की कमी, प्रत्ययात्मक डिज़ाइन में परियोजनोन्मुख की कमी, राज्यों को अलग निधियां आवंटित न करने के कारण इच्छाशक्ति की कमी तथा सार्वजनिक भागीदारी की कमी होने की मुख्य समस्याएं पाईं।

तदनन्तर मार्च 2007 में एसोचेम ने ए.ई.जैड संकल्पना की एक अन्य समीक्षा की। उन्होंने स्वामित्व, समन्वय तथा निगरानी, अल्प आधारभूत सुविधा, प्रोत्साहनों का अभाव और निवेश खिड़कियों का अभाव होने की मुख्य कमियां पाईं।

सिफारिश - 5

ए.पी.ई.डी.ए यह सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना विकसित करे कि ए.ई.जैड (एग्री एक्सपोर्ट जोन) जो क्रियाशील नहीं है या निर्यात निष्पादन में पीछे रह गए हैं, फिर सक्रिय किए जाते हैं।

उत्तर : ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि ए.ई.जैड संकल्पना की समीक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने दस सम्भावित उत्पादों और प्रत्येक उत्पाद के अनुरूप समूहों की पहचान की थी तथा निर्यातों को बढ़ाने के लिए एकीकृत रीति में इन समूहों का विकास करने का उद्देश्य है। इसके अलावा ए.पी.ई.डी.ए ने इन समूहों में परियोजना की निगरानी करने का उत्तरदायित्व निर्दिष्ट नोडल अधिकारियों को सौंप दिया है।

लेखापरीक्षा ए.पी.ई.डी.ए द्वारा की गई कार्रवाई को नोट करता है जिसकी प्रगति भावी लेखापरीक्षा में देखी जाएगी।

3.8.2 विकारी कार्गो केन्द्र (सी.पी.सी)

विमानपत्तनों पर निकास केन्द्रों तक शीत लड़ी बनाए रखने के उद्देश्य से ए.पी.ई.डी.ए ने देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर विकारी कार्गो केन्द्र (सी.पी.सी) स्थापित करने का निर्णय किया। सी.पी.सी के लिए वित्तपोषण प्रतिमान में ए.पी.ई.डी.ए तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच लागत हिस्सेदारी शामिल थी।

आज तक ए.पी.ई.डी.ए ने अपने अंशदान के रूप में 26.53 करोड़ रू. सहित 61.83 करोड़ रू. की लागत पर 13 सी.पी.सी की संस्वीकृति की। इनमें से;

- ए.पी.ई.डी.ए से 33.79 करोड़ रू. वाले नौ सी.पी.सी.⁴ स्थापित किए जा चुके थे। हैदराबाद तथा बेंगलुरु स्थित सी.पी.सी.

⁴अमृतसर, बेंगलुरु चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई तथा तिरुवनन्तपुरम में

इन स्थानों पर पुराने विमानपत्तनों को बन्द किए जाने के कारण बन्द कर दिए गए थे।

- ० बागडोगरा तथा नासिक स्थित दो सी. पी.सी. से संबंधित कार्य चालू था। ये सी.पी.सी एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किए जाने थे जिसकी विफलता में अनुदान

कार्यान्वयन एजेंसी से शास्तिक ब्याज के साथ वसूल किया जाना था, तथापि ए.पी.ई.डी.ए द्वारा यह वसूल नहीं किया गया था।

- ० गोवा स्थित सी.पी.सी परियोजना पूर्ण होने को थी जबकि हल्दिया परियोजना को समाप्त कर दिया गया था।

अध्याय 4. लेखापरीक्षा निष्कर्ष - सामान्य

4.1 निर्यातकों का पंजीकरण

ए.पी.ई.डी.ए की वित्तीय सहायता योजनाओं का पात्र होने के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का इसके साथ पंजीकृत कराना अपेक्षित है; इससे ए.पी.ई.डी.ए अनुसूचित उत्पादों के निर्यातों के विस्तृत आंकड़े एकत्र करने में समर्थ होता है। इस प्रयोजन हेतु 5,000 रु. का पंजीकरण शुल्क देय होता है। पंजीकरण या तो मैनुअली या आनलाइन किया जा सकता है।

ए.पी.ई.डी.ए का एक आई.टी अनुप्रयोग है जिसके द्वारा डी.जी.एफ.टी.⁵ से वैध आई.ई (आयातक-निर्यातक) कोड के साथ निर्यातक वेबसाइट पर आनलाइन पंजीकरण और क्रेडिट कार्ड द्वारा पंजीकरण फीस का भुगतान कर सकते हैं। आई.ई कोड का डी.जी.एफ.टी डाटाबेस से निर्यातक के ब्यौरों का आनलाइन सत्यापन करने के लिए उपयोग किया जाता है और उसके बाद निर्यातक को उनके ए.पी.ई.डी.ए पंजीकरण कोड दिये जाते हैं। अनुप्रयोग नाम, कम्पनी, पता आदि जैसे निर्यातक ब्यौरों से सज्जित होता है। ओरेकल/पावर बिल्डर प्लेटफार्म पर 1998-99 में आरम्भिक रूप से अभिकल्पित आवेदन मार्च 2001 में लोटस नोटस पर पुनः अभिकल्पित किया गया और फिर आनलाइन पंजीकरण को समर्थ करने के लिए एस.क्यू.एल/ए.एस.पी प्लेटफार्म को अक्टूबर 2001 में उन्नत किया गया।

लेखापरीक्षा में जनवरी 2007 में ए.पी.ई.डी.ए के साथ पंजीकृत अधिसंख्य निष्क्रिय निर्यातकों का उल्लेख किया गया जो अपनी मासिक पार्टी विवरणी (एम.पी.आर) दाखिल नहीं कर रहे थे। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किए जाने पर ए.पी.ई.डी.ए ने ऐसे निर्यातकों का पंजीकरण समाप्त कर दिया और पंजीकृत निर्यातकों की संख्या अप्रैल 2007 में 22,340 से घटकर मार्च 2008 को 5,799 रह गई।

⁵महानिदेशालय विदेश व्यापार

इलैक्ट्रॉनिक डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा में अनेक महत्वपूर्ण कमियों का पता चला :

- 49 मामलों में पंजीकरण की वैधता तारीखें 31 मार्च 2008 को बीत गई थी। तथापि इनमें से 40 मामलों में पंजीकरण तारीखें रिक्त थी और निर्यातकों की स्थिति "पंजीकृत" के रूप में दर्शाई गई थी।
- 5,027 मामलों में वैधता तारीखें गायब थी। सूचना के अन्य घटक भी अनेक अभिलेखों में गायब थे जैसा कि परिशिष्ट-5 (क) में दर्शाया गया है।

यह 154 पंजीकरण फाइलों की मैनुअल समीक्षा से परिपुष्ट था, जिसमें से 36 मामलों में ए.पी.ई.डी.ए पंजीकरण प्रमाणपत्रों में वैधता तारीखें नहीं दर्शाई गईं जैसा कि परिशिष्ट-5 (ख) में ब्यौरे दिए गए हैं।

सिफारिश - 6

ए.पी.ई.डी.ए यह सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर करे कि (क) पूर्ण तथा यथातथ्य डाटा अभिगृहीत है (ख) सभी पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर वैधता तारीखें निरपवाद रूप से दर्शाई जाती हैं (ग) पंजीकरण की वैधता विनिर्माता-निर्यातकों के मामले में विनिर्माता प्रास्थिति प्रमाणपत्र की वैधता के समान हो।

उत्तर : ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि गायब खण्डों को या तो प्रत्यक्ष अभिलेखों से अद्यतन करने के द्वारा या उन्हें निर्यातकों से मांगने के द्वारा सूचना अद्यतन करने के लिए प्रयास आरम्भ किए गए थे। प्रतिवेदन में उल्लिखित अधिसंख्य विशेष मामलों का छह माह के अन्दर समाधान करने की प्रत्याशा थी।

लेखापरीक्षा पंजीकरण डाटाबेस में कमियों को सुधारने के लिए ए.पी.ई.डी.ए की वचनबद्धता का स्वागत करता है। इसके प्रति प्रगति भावी लेखापरीक्षा में देखी जाएगी।

4.2 अनुसूचित उत्पादों के आंकड़ों का संग्रहण

ए.पी.ई.डी.ए अधिनियम के अनुसार ए.पी.ई.डी.ए के कार्यकलापों में अनुसूचित उत्पादों के निर्यात से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रकाशन शामिल है। इस प्रयोजन हेतु निर्यातकों से मासिक पार्टी विवरणियां (एम.पी.आर-मंथली पार्टी रिटर्न) दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है जो मात्रा तथा मूल्य द्वारा अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के संबंध में आंकड़े संग्रहीत करने में ए.पी.ई.डी.ए को समर्थ बनाएगा।

एक मासिक पार्टी विवरणी डाटाबेस इन विवरणियों को आनलाइन दाखिल करने के लिए निर्यातकों को समर्थ बनाने के लिए 1998-99 में कार्यान्वित किया गया था।

तथापि आनलाइन निर्यातक तथा एम.पी.आर डाटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि मार्च 2008 को 5,799 पंजीकृत निर्यातकों में से 2,005 निर्यातकों (34 प्रतिशत) ने कभी भी अपनी एम.पी.आर दाखिल नहीं की थी। शेष 3,794 निर्यातक भी केवल कभी-कभी एम.पी.आर दाखिल कर रहे थे। परिणामस्वरूप ए.पी.ई.डी.ए, एम.पी.आर से अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के आंकड़े संकलित नहीं कर रहा था परन्तु वार्षिक प्रकाशन "कृषि तथा खाद्य उत्पादों के निर्यात आंकड़े" में डी.जी.सी.आई एण्ड एस के निर्यात आंकड़ों को अपना रहा था। यह मानकर कि डी.जी.सी.आई एण्ड एस. के आंकड़ों में ए.पी.ई.डी.ए के साथ अपंजीकृत निर्यातकों के निर्यात भी शामिल हैं, अनुसूचित उत्पादों के निर्यात से संबंधित इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

इस प्रकार ए.पी.ई.डी.ए को अनुसूचित उत्पादों के निर्यातों के आंकड़े मुहैया कराने का उद्देश्य एम.पी.आर. पूरा नहीं कर रहे थे और अप्रभावी थे।

संयोग से इलैक्ट्रानिक डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निर्यातकों, जिन्होंने कभी एम.पी.आर दाखिल नहीं किए, को 12.82 करोड़ रु की वित्तीय सहायता के भुगतान के 153 मामलों का पता चला।

सिफारिश - 7

ए.पी.ई.डी.ए यह सुनिश्चित करे कि सभी पंजीकृत निर्यातक समय पर मंथली पार्टी रिटर्न (एम.पी.आर) दाखिल करते हैं जिसकी विफलता में उन्हें सभी प्रकार की सहायता के लिए अपात्र माना जाना चाहिए।

उत्तर : ए.पी.ई.डी.ए ने बताया कि ए.पी.ई.डी.ए अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए और पंजीकृत निर्यातकों की क्रियाशील/निष्क्रिय प्रास्थिति सुनिश्चित करने के लिए एम.पी.आर मांगे गए थे। डी.जी.सी.आई.एण्ड एस आंकड़े निर्यातक-वार तथा राज्य-वार आंकड़े मुहैया नहीं करते हैं इसलिए एम.पी.आर डाटा सुसंगत था। 2006-07 में ए.पी.ई.डी.ए ने पहले ही निर्यातकों, जो एम.पी.आर विवरणियां दाखिल नहीं कर रहे थे, का पंजीकरण समाप्त कर दिया था और नियमित आधार पर निर्यातकों का पंजीकरण समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे निर्यातक ए.पी.ई.डी.ए सहायता के पात्र नहीं होंगे। एक्जिट कान्फ्रेंस में ए.पी.ई.डी.ए ने यह भी बताया कि अगले छः महीनों में पंजीकरण डाटाबेस की कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ए.पी.ई.डी.ए द्वारा की गई वचनबद्धता को नोट करता है।

4.3 वित्तीय प्रबन्धन तथा नियंत्रण

ए.पी.ई.डी.ए को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई अनुदान सहायता संस्वीकृत आदेश में

निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु प्रयोग की जानी हैं। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि ए.पी.ई.डी.ए ने विभिन्न गैर योजनागत कार्यकलापों, अर्थात् बाजार विकास की योजनागत योजना के अन्तर्गत परामर्शदाताओं/टेका कर्मचारियों को पारिश्रमिक, व्यावसायिक प्रभारों के भुगतान आदि पर 2005-08 की अवधि के दौरान खर्च किए गए 1.83 करोड़ रु. को गलत रूप से बुक किया।

4.4 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आई.टी. सिस्टम)

अपने विभिन्न कार्यकलापों हेतु ए.पी.ई.डी.ए द्वारा विकसित आई.टी प्रणाली की लेखापरीक्षा समीक्षा से अनेक महत्वपूर्ण कमियों का पता चला।

4.4.1 अभिकल्पना तथा दस्तावेजीकरण में कमियां

"आई एफ ए एस की नियम पुस्तक", जो इसके क्षेत्र तथा कवरेज में सीमित थी, को छोड़कर सॉफ्टवेयर विकास, दो आई.एफ.ए.एस डाटाबेस-आई.एफ.ए.एस तथा आई.एफ.ए.एस.एन.ई. डब्ल्यू. के परीक्षण या कार्यान्वयन से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर के परिवर्तनों तथा उनके अनुमोदन से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

ए.पी.ई.डी.ए ने यूरोपीय संघ को भारत से निर्यातित ताजा अंगूरों की निगरानी के लिए इंटरनेट बेस्ड रेजीड्यू ट्रेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में कथित ग्रेपनेट आई.टी प्रणाली विकसित की थी। इस सॉफ्टवेयर में अंगूर निर्यातों की आपूर्ति कड़ी यथा किसान, राज्य बागवानी विभाग, जॉच प्रयोगशालाएं, एगमार्क प्रमाणन विभाग, फाइटोसेनेटरी विभाग, पैक गृह, निर्यातक और ए.पी.ई.डी.ए सभी पणधारियों को समाकलित किया, यह सुनिश्चित करने हेतु कि ए.पी.ई.डी.ए सीधे प्लाट स्तर तक निर्यात परेषणों के ब्यौरों की तलाश कर सके।

जबकि ग्रेपनेट का स्वतन्त्र माड्यूल 2005 अंगूर मौसम से कार्यात्मक था परन्तु ग्रेपनेट औपचारिक रूप से 2007 में चालू किया गया था।

ग्रेपनेट का डाटाबेस उचित रूप से अभिकल्पित नहीं किया गया क्योंकि अलग-अलग तालिकाओं के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं था। कोई विकास दस्तावेज उपलब्ध नहीं था और सॉफ्टवेयर में परिवर्तनों से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। ए.पी.ई.डी.ए के अनुसार :

- प्रणाली एक बार में पूर्ण काल चक्र सॉफ्टवेयर परियोजना के रूप में विकसित नहीं की गई थी और गत तीन वर्षों में विकसित की गई थी। इसके अलावा डाटाबेस किसी नियंत्रण के बिना रखा गया था ताकि अभिकल्पना तथा संरचना में भावी परिवर्तन किए जा सकें।
- चूंकि अंगूर उत्पादन तथा निर्यात लघु मौसम प्रक्रिया थी इसलिए सॉफ्टवेयर की समस्याओं को बिना किसी दस्तावेजीकरण के तत्काल आधार पर दूर किया जा रहा था।

4.4.2 सामान्य आई.टी नियंत्रण

इस तथ्य के बावजूद कि कम्प्यूटरीकरण 1998-99 में आरम्भ किया गया, ए.पी.ई.डी.ए के पास निम्न नहीं था :

- एक औपचारिक आई.टी नीति,
- आई.टी प्रणाली के विकास तथा प्रचालन हेतु नीतियां तथा कार्यविधियां,
- एक दुर्घटना समुत्थान तथा कारोबार निरन्तरता योजना

सिफारिश - 8


अपनी बहुसंख्यक आई.टी प्रणालियों के लिए ए.पी.ई.डी.ए को अतिशीघ्र निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है :

- स्वयं तथा इसके विक्रेताओं द्वारा संरचित प्रणाली अभिकल्पना कार्य-प्रणाली (स्ट्रक्चरड सिस्टम डिज़ाइन मैथोडोलोजी) का अनुपालन,
- सहायक नीतियों तथा कार्यविधियों के साथ एक औपचारिक आई.टी. नीति,
- दुर्घटना समुत्थान तथा कारोबार निरन्तरता योजना- (डिज़ास्टर रिकवरी एवं बिज़नेस कंटेन्यूटी प्लान),
- पूर्ण तथा विस्तृत प्रणाली तथा प्रयोक्ता दस्तावेजीकरण,
- प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तनों के अनुमोदन हेतु औपचारिक कार्यविधियों तथा परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण,
- यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय कि सभी डाटा इलेक्ट्रानिक रूप से ग्रहण किया जाता है और यह कि इलेक्ट्रानिक डाटाबेस अभिलेखों की प्राथमिक प्रणाली बनता है।

इन उपायों के बिना ए.पी.ई.डी.ए की आई.टी प्रणाली केवल एक सीमित प्रयोजन पूरा करेगी और इसके डाटा की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके अलावा संरचित प्रणाली अभिकल्पना कार्यप्रणाली तथा एक कारोबार निरन्तरता योजना के अभाव में भविष्य में इन आई.टी प्रणालियों का प्रभावी तथा व्यवहार्य प्रचालन उच्च जोखिम पर होगा।


मामला नवम्बर 2008 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर अप्रैल 2009 तक प्रतीक्षित था।

नई दिल्ली
दिनांक 3 जून 2009



(के.आर. श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 16 जून 2009


(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-
महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट



परिशिष्ट-1

परिवहन सहायता योजना से संबंधित काल बाधित/शास्ति का कम उदग्रहण/अनुदग्रहण मामलों की सूची(देखें पैरा 3.3)

(राशि रु. में)

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेत्रों में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	18223	05/10/2005	21/7/06	19818				19818	19818
	टी.ए.एस/06-07/830	18423	07/10/2005	(18)	16792				16792	16792
		18424	10/10/2005		16837				16837	16837
		18425	06/10/2005		24606				24606	24606
		18426	06/10/2005		19819				19819	19819
		18502	07/10/2005		19873				19873	19873
		18701	11/10/2005		16837				16837	16837
		18702	11/10/2005		16792				16792	16792
		18722	11/10/2005		19873				19873	19873
		18723	11/10/2005		16838				16838	16838
		18725	11/10/2005		27977				27977	27977
		18831	14/10/2005		26004				26004	26004
		18832	14/10/2005		17531				17531	17531
		18835	14/10/2005		16837				16837	16837
		18895	15/10/2005		26004				26004	26004
		18896	15/10/2005		26004				26004	26004
		18897	15/10/2005		26004				26004	26004

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेणी में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		18898	15/10/2005		26004				26004	26004
2.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	17806	29/09/2005	21/7/06	15593				15593	15593
	टी.ए.एस/06-07/1132	17809	30/09/2005	(28)	15593				15593	15593
		17933	01/10/2005		15635				15635	15635
		17934	01/10/2005		15635				15635	15635
		18052	01/10/2005		15635				15635	15635
		18054	03/10/2005		31264				31264	31264
		18236	04/10/2005		15671				15671	15671
		18238	05/10/2005		31377				31377	31377
		18280	05/10/2005		15688				15688	15688
		18281	05/10/2005		15688				15688	15688
		18282	05/10/2005		31377				31377	31377
		18465	07/10/2005		31377				31377	31377
		18466	07/10/2005		31377				31377	31377
		18503	07/10/2005		15688				15688	15688
		18504	07/10/2005		15688				15688	15688
		18595	10/10/2005		15956				15956	15956
		18596	10/10/2005		15956				15956	15956
		18600	10/10/2005		15956				15956	15956
		18700	11/10/2005		31912				31912	31912
		18724	11/10/2005		15956				15956	15956

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेत्रों में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		18789	14/10/2005		15938				15938	15938
		18790	13/10/2005		15938				15938	15938
		18834	13/10/2005		31877				31877	31877
		18894	14/10/2005		31877				31877	31877
		18900	14/10/2005		31877				31877	31877
		18901	14/10/2005		31877				31877	31877
		19008	15/10/2005		31764				31764	31764
		19009	15/10/2005		31764				31764	31764
3.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1503897	24/06/2005	31/3/06	21265				21265	21265
	टी.ए.एस/05-06/1980	1504236	27/06/2005	(5)	21265				21265	21265
		1504848	29/06/2005		16855				16855	16855
		1504930	29/06/2005		16855				16855	16855
		1506658	30/06/2005		16855				16855	16855
4.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	16649	15/09/2005	23/5/06	22639			2515		2515
	टी.ए.एस/06-07/0679	16648	15/09/2005	(11)	22639			2515		2515
		16348	09/09/2005		17471			1941		1941
		16427	12/09/2005		17499			1944		1944
		16428	12/09/2005		17499			1944		1944
		16542	13/09/2005		17511			1945		1945
		16543	20/12/2005		35022			3891		3891
		16547	13/09/2005		17511			1945		1945
		16647	15/09/2005		17511			1945		1945

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेत्रों में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		16650	14/09/2005		35061			3895		3895
		16651	15/09/2005		17511			1945		1945
5.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	19640	25/10/2005	21/7/06	35838			3982		3982
	टी.ए.एस/06-07/1267	19641	25/10/2005	(31)	35838			3983		3983
		19950	27/10/2005		18019			2002		2002
		19647	25/10/2005		17919			1991		1991
		19649	26/10/2005		17951			1999		1999
		19741	25/10/2005		17919			1991		1991
		19742	25/10/2005		17919			1991		1991
		19743	25/10/2005		17919			1991		1991
		19863	26/10/2005		17991			1999		1999
		19862	26/10/2005		17991			1999		1999
		19858	26/10/2005		17991			1999		1999
		19859	26/10/2005		17991			1999		1999
		20334	02/11/2005		18099			2011		2011
		19951	27/10/2005		18099			2011		2011
		19953	27/10/2005		18019			2002		2002
		20043	28/10/2005		36039			4004		4004
		20041	28/10/2005		18019			2002		2002
		20137	31/10/2005		36198			4022		4022
		20723	09/11/2005		22327			2480		2480
		20846	10/11/2005		27827			3091		3091

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेणी में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		20450	08/11/2005		27958			3106		3106
		20546	08/11/2005		27958			3106		3106
		20548	08/11/2005		27958			3106		3106
		20550	08/11/2005		13979			1553		1553
		20847	10/11/2005		14114			1568		1568
		20916	14/11/2005		21117			2346		2346
		20917	14/11/2005		21117			2346		2346
		20722	10/11/2005		27827			3091		3091
		20919	11/11/2005		22327			2480		2480
		20986	14/11/2005		45451			5050		5050
		20987	14/11/2005		45451			5050		5050
6.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	22439	02/12/2005	5/9/06	18457			2050		2050
	टी.ए.एस/06-07/1890	22440	02/12/2005	(6)	18457			2050		2050
		22441	02/12/2005		18457			2050		2050
		22553	05/12/2005		18528			2058		2058
		22552	05/12/2005		18528			2058		2058
		22875	09/12/2005		18047			2005		2005
7.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	20138	31/10/2005	15/9/06	23737				23737	23737
	टी.ए.एस/06-07/1987	22963	13/12/2005	(13)	36095				36095	36095
		23054	14/12/2005		36095				36095	36095
		23315	19/12/2005		36095			4010		4010
		23570	20/12/2005		36095			4010		4010

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेणी में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		23567	20/12/2005		18170			2018		2018
		24091	31/12/2005		36095			4010		4010
		24092	27/12/2005		18131			2014		2014
		24093	27/12/2005		18131			2014		2014
		24288	31/12/2005		18047			2005		2005
		24628	03/01/2006		35840			3982		3982
		84	05/01/2006		14310			1590		1590
		608	13/01/2006		17709			1967		1967
8.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1902	06/02/2006	15/9/06	93188		4905			4905
	टी.ए.एस/05-06/2006	1905	31/01/2006	(35)	56425		2970			2970
		2253	04/02/2006		14404		758			758
		2460	07/02/2006		14404		758			758
		2461	07/02/2006		14475		762			762
		2462	07/02/2006		14404		758			758
		2464	07/02/2006		38960		2050			2050
		2465	07/02/2006		38960		2050			2050
		2492	07/02/2006		19614		1032			1032
		2491	07/02/2006		19614		1032			1032
		2493	09/02/2006		19614		1032			1032
		2495	09/02/2006		19614		1032			1032
		174	07/01/2006		37471			5916		5916
		1521	25/01/2006		18710		985			985

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेणी में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		1705	28/01/2006		37337		1965			1965
		136	31/01/2006		37245		1960			1960
		2496	07/02/2006		37320		1964			1964
		2646	10/02/2006		18975		999			999
		2695	10/02/2006		37950		1997			1997
		2696	10/02/2006		18975		999			999
		2787	13/02/2006		18975		999			999
		2903	14/02/2006		19082		1004			1004
		1903	08/02/2006		93645		4929			4929
		2463	08/02/2006		14475		762			762
		2783	13/02/2006		67088		3531			3531
		2835	14/02/2006		67088		3531			3531
		2836	14/02/2006		44815		2359			2359
		2837	15/02/2006		44755		2355			2355
		2842	14/02/2006		14475		762			762
		2843	14/02/2006		14475		762			762
		2844	14/02/2006		14455		761			761
		2845	14/02/2006		14475		762			762
		3094	15/02/2006		14455		761			761
		3095	15/02/2006		14455		761			761
		2788	13/02/2006		23362		1230			1230
9.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	19493	21/10/2005	3/8/06	17990				17990	17990

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेत्रों में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
	टी.ए.एस/06-07/1415	20727	09/11/2005	(19)	18369			2041		2041
		20724	09/11/2005		18369			2041		2041
		20845	10/11/2005		18369			2041		2041
		20726	10/11/2005		18369			2041		2041
		20725	10/11/2005		18369			2041		2041
		20843	11/11/2005		36738			4082		4082
		20918	11/11/2005		18369			2041		2041
		21344	18/11/2005		18720			2030		2030
		21454	19/11/2005		36627			4070		4070
		21524	21/11/2005		36659			4073		4073
		21565	22/11/2005		36627			4070		4070
		21566	22/11/2005		18314			2035		2035
		21567	22/11/2005		18314			2035		2035
		21568	22/11/2005		18314			2035		2035
		21661	23/11/2005		36627			4070		4070
		21737	24/11/2005		18314			2035		2035
		21191	30/11/2005		18389			2043		2043
		22192	30/11/2005		18389			2043		2043
10.	हिमालय इण्टरनेशनल	1272824	16/04/2003	16/12/03	69560		3478			3478
	टी.ए.एस/03-04/2134	1272823	16/04/2003	(2)						
11	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1367788	05/04/2004	31/8/05	233453	11673				11673
	टी.ए.एस/05-06/1980	1368340	06/04/2004	(9)						

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेणी में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		1368346	06/04/2004							
		1368617	08/04/2004							
		1368729	08/04/2004							
		1369112	12/04/2004							
		1369124	12/04/2004							
		1369395	13/04/2004							
		1370820	16/04/2004							
12.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड	6442	15/04/2005	17/1/06	14749				14749	14749
	टी.ए.एस/05-06/909	6446	15/04/2005	(7)	14749				14749	14749
		1474339	24/03/2005		14223				14223	14223
		1474342	24/03/2005		14223				14223	14223
		1477420	28/03/2005		14206				14206	14206
		1477742	30/03/2005		14222				14222	14222
		1477806	30/03/2005		14223				14223	14223
13.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड	12250	21/07/2005	31/3/06	939962			104440		104440
	टी.ए.एस/05-06/2040	12324	20/07/2005	(39)						
		12505	25/07/2005							
		12637	20/07/2005							
		12506	20/07/2005							
		12807	26/07/2005							
		12808	23/07/2005							
		12809	26/07/2005							

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेणी में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		12913	25/07/2005							
		12916	23/07/2005							
		13017	25/07/2005							
		13018	25/07/2005							
		13019	25/07/2005							
		13020	25/07/2005							
		13021	25/07/2005							
		13079	25/07/2005							
		13080	25/07/2005							
		13081	25/07/2005							
		13082	25/07/2005							
		13083	26/07/2005							
		13084	26/07/2005							
		13085	26/07/2005							
		13201	28/07/2005							
		13202	28/07/2005							
		13203	28/07/2005							
		13204	28/07/2005							
		13370	29/07/2005							
		13371	29/07/2005							
		13372	29/07/2005							
		13440	30/07/2005							

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेणी में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		13441	30/07/2005							
		13443	30/07/2005							
		13444	30/07/2005							
		13445	30/07/2005							
		13630	03/08/2005							
		13737	03/08/2005							
		13738	03/08/2005							
		13739	03/08/2005							
		12805	28/07/2005							
14.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड टी.ए.एस/05-06/755	1472909	15/03/2005	15/12/2005	14497				14497	14497
15.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड टी.ए.एस/05-06/762	6163	12/04/2005	15/12/2005	23177			2577		2577
		6166	11/04/2005	15/12/2005	50707			5634		5634
		6277	12/04/2005	15/12/2005	21528			2392		2392
		1477744	29/03/2005	15/12/2005	16011			1779		1779
		1477745	29/03/2005	15/12/2005	16011			1779		1779
16.	एग्रो डच इण्डस्ट्रीज लिमिटेड टी.ए.एस/06-07/1813	23251	16/12/2005	5/9/06	11982			1331		1331
		23316	16/12/2005	(26)	11982			1331		1331
		23496	17/12/2005		37206			4134		4134
		23497	19/12/2005		18155			2017		2017
		23781	22/12/2005		20091			2232		2232
		23783	22/12/2005		20091			2232		2232

क्रम संख्या	निर्यातक फर्म का नाम	बीजक/लदान बिल/ए. डी.आई.एल. संख्या	लदान बिल की तारीख	ए.पी.ई.डी.ए में भौतिक दावे के प्रस्तुतीकरण की तारीख	संस्तुत आर्थिक सहायता की राशि	5 % कटौती में आने वाले मामले	10 % कटौती में आने वाले मामले	20 % कटौती में आने वाले मामले	अस्वीकृत क्षेणी में आने वाले मामले	ए.पी.ई. डी.ए द्वारा अधिक भुगतान की राशि
		23875	23/12/2005		20091			2232		2232
		23876	23/12/2005		51259			5695		5695
		23877	23/12/2005		25759			2862		2862
		23964	24/12/2005		51259			5695		5695
		23963	24/12/2005		39923			4435		4435
		23089	27/12/2005		37853			4205		4205
		24090	27/12/2005		18927			2103		2103
		24094	27/12/2005		24451			2716		2716
		24095	27/12/2005		24451			2716		2716
		24096	27/12/2005		24451			2716		2716
		24097	29/12/2005		18929			2103		2103
		24098	29/12/2005		18929			2103		2103
		24186	28/12/2005		18927			2103		2103
		24187	28/12/2005		18927			2103		2103
		24188	29/12/2005		37853			4205		4205
		24385	31/12/2005		18927			2103		2103
		24287	31/12/2005		23530			2614		2614
		24383	31/12/2005		23530			2614		2614
		24382	31/12/2005		23530			2614		2614
		24384	31/12/2005		25249			2805		2805
	जोड़				255					1798986

परिशिष्ट -2 क

अवसंरचना विकास (देखें पैरा 3.4)

वित्तीय सहायता के मामले (आई.पी.ए जारी करने से पूर्व)

क्रम संख्या	फाइल संख्या	निर्यातक का नाम	संघटक	अधिक भुगतान (लाख रु. में)
1.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/307/05-06	मै. जी.एस. ग्रेप्स	उच्च आद्रता शीत भण्डारण	3.62 (04/07)
2.	एफ.एल.आर/एस.सी.एच/0017/05-06	मै. एपियन एक्सपोर्ट्स, मुंबई	उचित वातानुकूलन सुविधा के साथ पूर्व कूलन सुविधा	7.50 (5/07)
3.	सी.आर/2004-05-0201	मै. मानसा क्वालिटी एन्टरप्राइजेज, काकीनाडा आन्ध्र प्रदेश	सोरटेक्स मशीन	10.00 (11/06)
4.	सी.आर/2003-04-0023/ई.टी.पी/03-04.	मै. सतनाम ओवरसीज़ लिमिटेड	ई.टी.पी संयंत्र	9.60 (3/05)
5.	सी.आर/2005-06/0-076	मै. बालाजी राइस मिल्स, आन्ध्र प्रदेश	सोरटेक्स मशीन	10.00 (4/07)
6.	सी.आर/2005-06/52	मै. सिफ्टी राइस मिल्स, अमृतसर	सोरटेक्स मशीन	10.00 (2/07)
7.	सी.आर/2004-05/107	मै. श्री मुरली मोहन बाइल्ड एण्ड राइस मिल्स, आन्ध्र प्रदेश	सोरटेक्स मशीन	10.00 (10/06)
8.	सी.आर/2004-05/0080	मै. गोयल उद्योग रायपुर, मध्य प्रदेश	सोरटेक्स मशीन	10.00 (2/06)
9.	बी.डी.एफ/04-05/0070	मै. चमन लाल सेतिया, अमृतसर पंजाब	सोरटेक्स मशीन	7.84 (3/06)
10.	सी.आर/2004-05/0023	खोसला एग्रो ओवरसीज़, अमृतसर पंजाब	सोरटेक्स मशीन	10.00 (9/05)

11.	एफ.एफ.वी/ एस.सी. एच /190/04-05	मै. काल्या एक्सपोर्टस, नासिक	पैक गृह	5.29 (3/05 : 8/05)
12.	एफ.एफ.वी/05-06/255	मै. पी.पी.एफ एक्सपोर्ट	पैक गृह	3.11 (5/07)
13.	एफ.एफ.वी/ एस.सी. एच /04-05/32	साको फ्रूट्स, नासिक	समन्वित पशु फसल प्रहस्तन प्रणाली (पैक गृह)	17.76 (3/06)
14.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/4070/02-03	फार्मसन्स फार्मिंग प्रा. लिमिटेड	पैक गृह	8.68 (1/04)
15.	सी.आर/04-05/0101	मालीदी सूर्यनारायण रेड्डी	सोरटेक्स मशीन	10.00 (10/06)
16.	सी.आर/05-06/ 0163	नरुला आयल फैट्स प्रा. लिमिटेड	सोरटेक्स मशीन	10.00 (06/07)
17.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/04-05/0046	कश्मीर केसर मार्ट	यांत्रिक प्रहस्तन सुविधा (सोरटेक्स मशीन)	9.80 (3/05)
18.	सी.आर/04-05/0132	पल्लवी एक्सपोर्टस	सोरटेक्स मशीन	10.00 (02/06)
19.	सी.आर/05-06/0169	हबीब राइस मिल्स	सोरटेक्स मशीन	7.03 (9/07)
20.	सी.आर/04-05/0103	कोडानदरामा बाइल्ड एण्ड राइस मिल्स	सोरटेक्स मशीन	10.00 (04/07)
21.	सी.आर/04-05/0138	वीनू इण्डस्ट्रीज, हैदराबाद	सोरटेक्स मशीन	10.00 (4/07)
22.	सी.आर/05-06/0039	सत्य श्रीनिवासा रा एवं बाइल्ड मिल्स	सोरटेक्स मशीन	6.33 (4/07)
23.	सी.आर/04-05/0061	जया लक्ष्मी हाईटेक राइस मिल्स	सोरटेक्स मशीन	6.57 (5/07)
24.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/201/06-07	गाला फूड्स प्रा. लिमिटेड	वी.एच.टी. संयंत्र	25.00 (7/07)
			जोड़	228.13

परिशिष्ट -2 ख

अवसंरचना विकास (देखें पैरा 3.4) आई.पी.ए की वैधता के बाद दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के मामले

क्रम संख्या	फाइल संख्या	निर्यातक का नाम	संघटक	अधिक भुगतान (लाख रू. में)
1.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/147/06-07	क्षीर सागर एग्रो प्रोसेस इण्डस्ट्रीज	मध्यवर्ती भण्डार हेतु छाया	4.77 (07/07)
2.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/076/05-06	मै. फीनिक्स	मध्यवर्ती भण्डार हेतु छाया की स्थापना	5.00 (06/07)
3.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/313/05-06	मै. राहुल एक्सपोर्ट्स	पूर्व शीतन पैक गृह	10.00 (3/07)
4.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/159/04-05	मै. आशुतोष एग्रो एक्सपोर्ट्स	उच्च आद्रता शीत भण्डार	7.35 (3/05)
5.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/158/04-05	मै. आशुतोष एग्रो एक्सपोर्ट्स लातूर	पैक गृह/पूर्व शीतन	10.39 (3/05)
6.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/0181/03-04	मै. के धर्मा रेड्डी एण्ड संस	पैक गृह की स्थापना	25.00 (5/04)
7.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/4303/02-03	काशीपुर एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	पैक गृह तथा उच्च आद्रता शीत भण्डार	8.36 (3/04)
8.	सी.आर 05-06/0136	वरदान इण्डस्ट्रीज	सोरटेक्स मशीन	9.13 (8/07)
9.	सी.आर 06-07/0120	जी.वी गाड विश्नू	मध्यवर्ती भण्डार छाया	5.00 (7/07)
10.	सी.आर 06-07/72	फिरोजपुर फूड्स प्रा. लिमिटेड	ई.टी.पी. संयंत्र	2.58 (9/07)
11	सी.आर 2005-06/0008	पटेल फ्लोर राइस मिल्स	सोरटेक्स मशीन	2.88 (11/06)
			जोड़	90.46

परिशिष्ट-2 ग

अवसंरचना विकास (देखें पैरा 3.4) अपात्र/अधिक भुगतान

क्रम संख्या	फाइल संख्या	निर्यातक का नाम	संघटक	अधिक भुगतान (लाख रू में)
1.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच /0080/05-06	मै. आशीर्वाद एग्रो एक्सपोर्ट्स	पैक हाउस	0.55 (7/06)
2.	सी.आर/2005-06/0041	मै. कृपा राइस मिल्स, अमृतसर	मध्यवर्ती भंडारण के लिए शेडों की स्थापना	5.00 (2/06)
3.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच /74/06-07	मै. गंगोत्री एग्रो एक्सपोर्ट	पैक हाउस	25.00 (7/07)
4.	सी.आर/2004-05-0130/ ई.टी.पी	मै. के.आर.बी.एल	ई.टी.पी प्लान्ट	25.00 (5/06)
5.	एफ.एफ.वी/एस.सी. एच/234/607	विजय लक्ष्मी एग्री सर्विसिज़	शेड की स्थापना	5.00 (9/07)
6.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच /171/05-06	मै. वीरप्पा मुंडा एग्रो एक्सपोर्ट्स	उच्च आर्द्रता का शीत भंडार	2.18 (4/07)
7.	सी.आर/06-07/0032	शिव शंकर राइस मिल्स	भंडारण शेड	4.90 (06/07)
8.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच /251/06-07	मै. सत्य भामा एक्सपोर्ट	उचित प्रहस्तन प्रणाली से पूर्व शीतन	3.16 (07/07)
9.	एफ.एफ.वी/2004-05/233 एफ.एफ.वी/एस.सी.एच /178/2006-07	भण्डारी कोल्ड स्टोरज़ भण्डारी कोल्ड चैन	पैक हाउस पैक हाउस	25.00 (9/07)
10.	एफ.एल.आर/आई.एन.एफ.आर /070/05-06	मै. ड्यूड्राप्स एग्रीटेक प्रा. लिमिटेड	पूर्व शीतन सुविधा	3.77 (4/07)
11.	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच /189/04-05	पश्चिम बंगाल राज्य खाद्य संसाधन एवं बागवानी विकास निगम	मालदा में बहु उद्देशीय आधार भूत सुविधा की स्थापना	10.32 (01/05) 4.36 (3/04)
12.	सी.आर/2005-06/167	मै. किसान राइस मिल्स, करनाल	शेडों की स्थापना	5.00 (9/07)
जोड़				119.24

परिशिष्ट-2 घ

अवसरचना विकास (देखें पैरा 3.4) परियोजनाओं के पूरा करने में विलम्ब के मामले

क्रम संख्या	फाइल संख्या	कार्यान्वयन एजेंसी	संघटक	ए.पी.ई.डी.ए द्वारा जारी राशि/ तारीख (लाख रु. में)
1	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/सी.आई /0039/04-05	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड	फसल के बाद सुविधा	18.99 (2/06)
2	एफ.एफ.वी/पी.आई.यू/एस.सी डी.वी.एफ.पी.एम.सी.एस /06-07	नैफेड	सामान्य आधारभूत सुविधा 7 संग्रहण केन्द्र	425.00 (1/08)
3	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/011/2006-07	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	पैक हाउस सुविधा	123.72 (2/07)
4	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच /286/2003-04	पश्चिम बंगाल खाद्य संसाधन एवं बागवानी विकास निगम	बहुउद्देशीय शीत भंडार और पैक हाउस	29.33 (11/05) 51.34 (3/06) 46.93 (7/06)
5	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच /0071/2005-06	महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड	पैक हाउस	127.47 (2/07)
6	ए.ई.जैड/वालनट/नर्सरी/जे.एण्ड.के/आर. एण्ड.डी /04-05	जे.एण्ड.के बागवानी विभाग	जे.एण्ड.के वालनट नर्सरी	32.65 (11/04)
7	ए.पी.ई.डी.ए/जे.एण्ड.के/सेब/06-07	जम्मू एवं कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन तथा संसाधन निगम लिमिटेड	शोपियन में पैक हाउस	142.61 (9/05)
8	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच /0145/2004-05	असम राज्य औद्योगिक विकास निगम	फसल के बाद आधारभूत सुविधा (पैक हाउस)	157.50 (4/06)
9	पी.एफ.वी/आई.एन.एफ/2005-06	नादुक्कारा एग्रो प्रासेसिंग क. लिमिटेड, केरल	सामान्य आधारभूत सुविधा	148.32 (5/06)
जोड़				1303.86

परिशिष्ट-3 क

बाज़ार विकास (देखें पैरा 3.5.2)

मध्यवर्ती पैकेजिंग सामग्री (अवैध आई.पी.ए)

क्रम संख्या	संघटक	निर्यातक का नाम	फाइल संख्या	निर्मुक्त सहायता (लाख रु. में)
1.	मध्यवर्ती पैकेजिंग सामग्री	चाँद फ्रूट कं.	एफ.एफ.वी/05-06/352	4.62
2.	मध्यवर्ती पैकेजिंग सामग्री	चाँद फ्रूट कं.	एफ.एफ.वी/05-06/353	4.62
3.	मध्यवर्ती पैकेजिंग सामग्री	लूसी ग्रेप्स प्रा. लिमिटेड	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/343/05-06	0.80
4	मध्यवर्ती पैकेजिंग सामग्री	सन्तोष एक्सपोर्ट्स, सांगली	एफ.एफ.वी/एस.सी.एच/68/05-06	3.35
			जोड़	13.39

परिशिष्ट-3 ख

2006-07 में भाग लिए गए मेलों के ब्यौरे जिनमें व्यय सीमा से अधिक हुआ (देखें पैरा 3.5.3)

क्रम संख्या	मेले का नाम	निर्धारित सीमा	वास्तविक व्यय (लाख रु. में)
1	बायो फेच 2007, जर्मनी	10.00	41.68
2	अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मेला, नीदरलैण्ड	10.00	35.61
3	इण्टरनेशनल फेंसी फूड एण्ड कन्फेक्शनरी शो यू.एस.ए., जुलाई 2006	10.00	27.50
4	इण्टरनेशनल फेंसी फूड शो यू.एस.ए., मई 2006	10.00	15.87
5	इण्टरनेशनल फूड एण्ड ड्रिंक एक्जिबिशन, यू.के	10.00	16.42

परिशिष्ट-4

(गुणवत्ता विकास) आई.पी.ए की वैधता के बाद दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण(देखें पैरा 3.6.1)

क्रम संख्या	निर्यातक का नाम	फाइल संख्या	निर्मुक्त भुगतान (लाख रु. में)
1	मै. यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	सी.आर/2003-04/0076	4.95 (9/04)
2	मै. ताराचन्द राइस मिल्स, हरियाणा प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	सी.आर/2006-07/0271	5.00 (7/07)
3	मै. जी.वी. राइस यूनिट आई.एस.ओ 9001-2000 के कार्यान्वयन हेतु	सी.आर/2004-05/0010	1.70 (3/05)
4	महन्त ओवरसीज़ प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	सी.आर/05-06/0192	5 .00 (06/07)
		जोड़	16.65

परिशिष्ट-5 (क)

गुम वैधता तारीख तथा सूचना के अन्य तत्व (देखें पैरा 4.1)

मामलों की संख्या	गुम सूचना
170	स्थापना की तारीख
171	आई.ई कोड आबंटन तारीख
168	निर्यातक प्रकार
172	पैन नम्बर
168	फर्म का स्वरूप
172	बैंक का नाम
173	बैंक खाता संख्या
168	निर्यातक की प्रास्थिति
24	पंजीकरण तारीख 1.1.1900 थी
1624	सुरक्षा प्रश्न
1089	उत्पाद किस्म
1279	निर्यातक श्रेणी
5027	वैधता तारीख

परिशिष्ट-5 (ख)

विनिर्माता निर्यातको की सूची जिनके मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र में वैधता तारीख शामिल नहीं की गई (देखें पैरा संख्या 4.1)

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	निर्यातक का नाम	पंजीकरण प्रमाण पत्र की तारीख
1.	152957	मालिदी सूर्यनारायण रेड्डी	9.8.2004
2.	152765	फाइव स्टार डिहाइड्रेशन प्रा. लिमिटेड	7.1.2004
3.	152458	श्री जयलक्ष्मी हाई. टेक राइस मिल्स	19.3.2004
4.	31156	सेनथिप्पा मॉडर्न राइस मिल्स	28.3.2001
5.	152937	वेनु इण्डस्ट्रीज़	27.8.2004
6.	153786	श्री सत्य श्री निवासराव ब्यालड राइस मिल्स	16.5.2005
7.	152878	श्री कोडानडरमा ब्यालड राइस मिल्स	10.8.2004
8.	152719	श्री वेंकटा प्रसाद रॉ ब्यालड राइस मिल्स	15.6.2004
9.	151813	के. धर्मा रेड्डी सन्स ग्रेप गार्डन एण्ड एक्सपोर्ट्स	6.8.2003
10.	5812	श्रीराम ग्रेप ग्रोवर्स को-ऑ. सोसाइटी लिमिटेड	11.2.1994
11.	152041	होली एग्रो केम	10.3.2003
12.	5711	लीडिंग एक्सपोर्ट्स	21.1.1994
13.	151306	त्रिमूर्ति ग्रेप्स	25.2.2003
14.	6948	नारंग कोल्ड्स प्रा. लिमिटेड	21.11.1994
15.	5810	श्री सिद्धाश्वर ग्रेप ग्रोवर	11.2.1994
16.	5808	लातूर जिला द्राक्ष उत्पादक	2.11.1994
17.	5809	कामधेनु ग्रेप ग्रोवर	11.2.1994

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	निर्यातक का नाम	पंजीकरण प्रमाण पत्र की तारीख
18.	5952	ईस्टर्न एक्सपोर्ट	19.10.2001
19.	5909	खांडोबा पानन सहकारी संस्था	2.3.1994
20.	5816	सुपर ग्रेप्स एक्सपोर्टर्स एण्ड फ्रूट प्रोसेस्ड	1.11.2000
21.	151305	गायत्री एक्सपोर्टर्स	25.2.2003
22.	153982	हिल ग्रीन एग्रो एक्सपोर्टर्स	20.7.2005
23.	5818	सुपर ग्रेप्स एक्सपोर्टर्स एण्ड फ्रूट प्रासेस	1.11.2000
24.	50860	पैनेसिया इनर्जाइजर्स प्रा. लिमिटेड	3.12.1999
25.	7207	के.के.आर एक्सपोर्टर्स	9.2.1995
26.	152948	गाला फूड्स	9.2.2004
27.	154501	ग्लोबल एक्सपोर्टर्स	21.12.2005
28.	9964	सैको फ्रूट्स	28.8.2003
29.	4528	फ्रेश ट्राप फ्रूट्स प्रा. लिमिटेड	13.7.2001
30.	150644	पल्लवी इण्टरप्राइजेस	12.7.2002
31.	155290	गंगोत्री एक्सपोर्ट	20.7.2006
32.	153471	मांसा क्वालिटी	16.2.2005
33.	154024	बालाजी राइस मिल्स	3.8.2005
34.	5807	सोलापुर ग्रेप ग्रोवर्स को-ऑ सोसाइटी लिमिटेड	1993-94
35.	5806	श्री साईबाबा ग्रेप गोवर्स को-ऑ सोसाइटी	11.2.1994
36.	205	फ्रेश ग्रेप एक्सपोर्ट	21.6.2006

संकेताक्षरों की सूची

ए.ई.जैड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एसोचेम	दी एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया
सी.पी.सी	विकारी कार्गो केन्द्र
डी.जी.एफ.टी	महानिदेशालय विदेश व्यापार
डी.जी.सी.आई.एण्ड एस	महानिदेशालय वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी
एक्विम	निर्यात आयात
ई.यू.आर.ई.जी.ए.पी	यूरो रिटेलर प्रोड्यूस गुड एग्रीकल्चरल प्रक्टिसेज
एफ.ए.एस	वित्तीय सहायता योजनाएं
एच.ए.सी.सी.पी	जोखिम विश्लेषण और नाजुक नियंत्रण बिंदु
आई.एफ.ए.एस.एन.ई.डब्ल्यू	समन्वित वित्तीय सहायता प्रणाली नई
आई.टी	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.एस.ओ	अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आई.पी.ए	सैद्धांतिक अनुमोदन
आई.ई	आयातक-निर्यातक
आई.एफ.ए.एस	समन्वित वित्तीय सहायता प्रणाली
एल.टी.जी	अंगूरों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण
एम.पी.आर	मासिक पार्टी विवरणियां
एन.ए.बी.एल	राष्ट्रीय जाँच एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
आर. एण्ड डी	अनुसंधान एवं विकास
टी.ए.एस	परिवहन सहायता योजना
सं.रा.श्रे.	संघ राज्य क्षेत्र